

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-3013

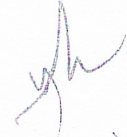
दिनांक 14.9.22

श्री अमित यादव पुत्र श्री मोहन लाल यादव जाति यादव
निवासी 133, नेमी नगर, श्याम मार्केट, यादव भवन, वैशाली नगर, जयपुर,
श्री हनुमान सहाय यादव पुत्र श्री कजोड मल यादव जाति यादव
निवासी सिरसी रोड, जयपुरियों का बाढ़, सिरसी, जयपुर 302012,
श्री जीवनराम यादव पुत्र श्री सुन्दर राम यादव जाति यादव
निवासी आपरियों की ढाणी, बावडी गोपीनाथ, ढोला का बास, जयपुर
श्री मंगलचन्द यादव श्री कजोडमल यादव जाति यादव
निवासी सिरसी रोड, हाथोज लिंक रोड, जयपुरियों का बाढ़, सिरसी, 302012,
श्रीमती सोहनी देवी पत्नि श्री मोहन लाल यादव जाति यादव
निवासी 133, नेमी नगर, वैशाली नगर, जयपुर, 302021

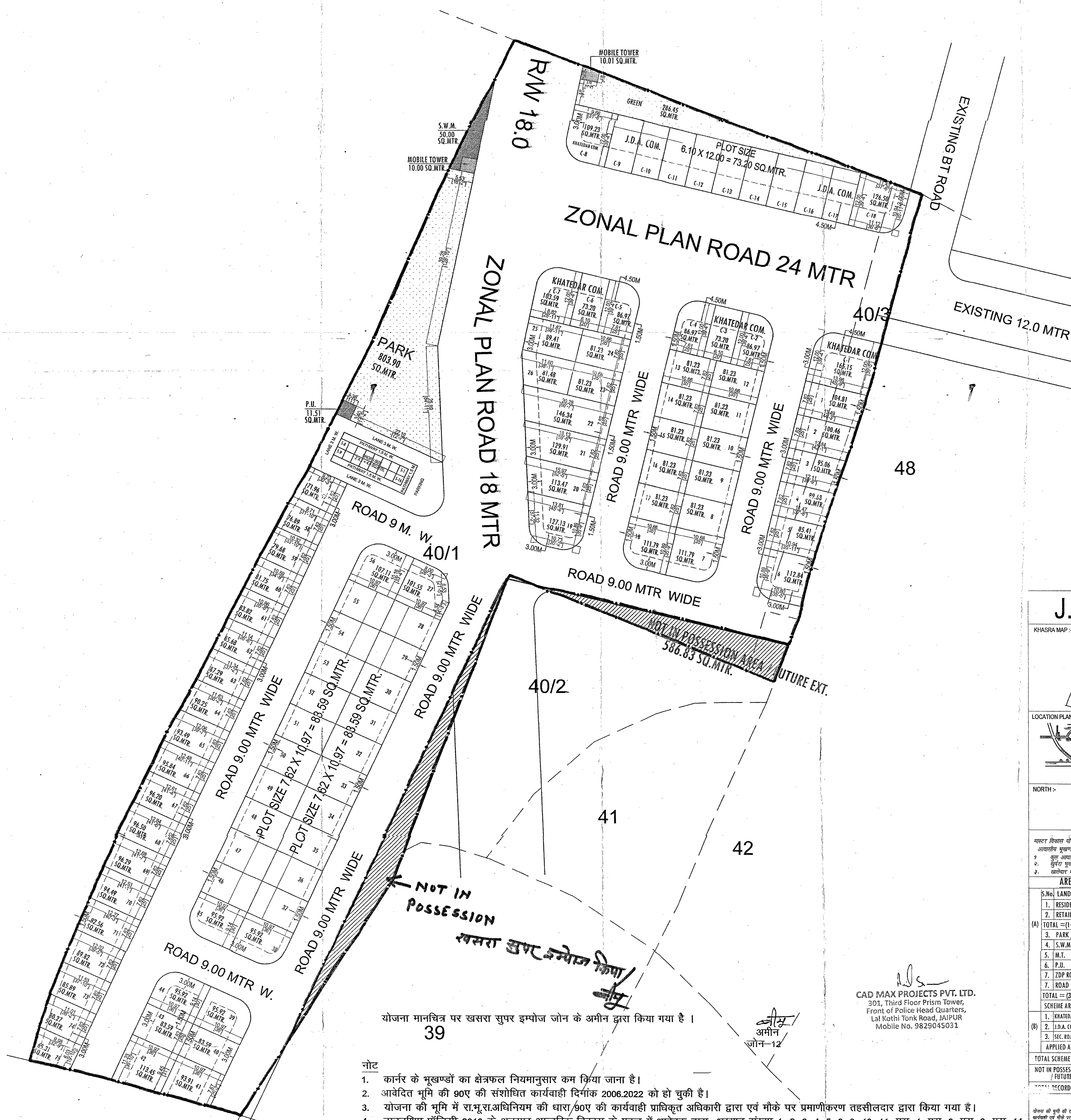
विषय :- ग्राम मूण्डियारामसर तहसील जयपुर के खसरा 40/1 रकबा 1.8337 हैक्ट. व ख.
नं. 40/3 रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 2 रकबा 1.8969 हैक्टयर भूमि पर
प्रस्तावित आवासीय योजना "वैशाली एनक्लेव वेस्ट" का मानचित्र जारी करने
बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के कम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम मूण्डियारामसर तहसील जयपुर के खसरा
40/1 रकबा 1.8337 हैक्ट. व ख.नं. 40/3 रकबा 0.0632 हैक्ट. कुल किता 2 रकबा 1.8969 हैक्टयर भूमि
पर प्रस्तावित आवासीय योजना "वैशाली एनक्लेव वेस्ट" आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी
(एलपी) की 321वीं बैठक दिनांक 28.07.2021 को किया चुका है। जिन भूखण्डों को जविप्रा में अनुमोदित
योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय
विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर तथा रहन मुक्त कराने पर ही
किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंगन है।

सलंगन :- उपरोक्तानुसार


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर
उपायुक्त जोन-12
जयपुर

1156
B
14.9.22



योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

39

नोट

1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदनित भूमि की 90ए की संशोधित कार्यवाही दिनांक 2006.2022 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.अ.नियम की धारा/90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पौलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, एस-1, एस-2, एस-3, एस-14, एस-15, व एस-16 कुल भूखण्ड 15 कुल क्षेत्रफल 855.95 वर्गमीटर है, जो जमिा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवर्दन/पेटटा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 321 वीं बैठक दिनांक 28.07.2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत भूमि जविग्रा रीजन से बाहर स्थित है एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-1 (आवासीय) है।
7. योजना मानचित्र टाउनशिप पौलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
8. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर रैरामीटर्स एवं सर्टिफेक्स जविग्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

हस्ता
सहायक नगर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

[illegible]